



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223778
CG-DL-E-18122020-223778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 358]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

सं. एवी.11012/4/2005-ए.—वायुयान नियम, 1937 के नियम 78 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारत के राजपत्र, भाग-I धारा 1 में दिनांक 10 जनवरी, 2020 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या एवी-11012/4/2005-ए दिनांक 06 जनवरी, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि 30 जून, 2021 के बाद से कोई व्यक्ति दीव हवाईअड्डे को/से अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित नहीं करेगा जब तक उसे वायुयान नियम, 1937 के नियम 78 के उप-नियम (1) द्वारा यथापेक्षित नागर विमानन महानिदेशक द्वारा लाइसेन्स प्रदान नहीं किया जाता है।

अंशुमाली रस्तोगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2020

No. AV-11012/4/2005-A.—In pursuance of proviso to sub-rule (1) of rule 78 of the Aircraft Rules, 1937 and in supersession of the notification no. AV-11012/4/2005-A dated 06th January, 2020 published in the Gazette of India, Part I, Section 1 on 10th January, 2020, the Central Government

hereby directs that no person shall operate Scheduled air transport services to/from Diu aerodrome after 30th June, 2021 unless it has been licensed by the Director General of Civil Aviation as required by sub-rule (1) of rule 78 of the Aircraft Rules, 1937.

ANGSHUMALI RASTOGI, Jt. Secy.